Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर

नरसाराम बनाम सरकार

किस्म मुकदमाः– 136 एलआरएक्ट मुकदमा नं.........50 /2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.07.2020	आज यह पत्रावली तहसीलदार लूनकरनसर से शुद्धि प्रकरण प्राप्त होने पर मुरतीब की गई । दर्ज रजिस्टर की जावे। प्रार्थना पत्र पर हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार लूनकरनसर से रिपोर्ट होकर प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली रहे। प्रकरण से सम्बन्धित तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी की कयशुदा कृषि भूमि मौजा रोही नकोदेसर तहसील लूनकरनसर की खसरा संख्या 87 तादादी 54 बीघा 05 बिस्वा खातेदारी जरिए विक्रय पत्र दिनांक 05.07.1966 (भवरलाल,नरसाराम,पिसरान मालाराम जाति जाट, निवासी इन्दपालसर बास हिरावतान तहसील श्रीडूंगरगढ के नाम से) कय की जाकर कब्जे एवं काश्त में चली आ रही हैं एवं गत खाता संख्या 81 तादादी 34 बीघा 17 बिस्वा खातेदारी जरिये विक्रय पत्र दिनांक 03.06.1968 (भवरलाल,नरसाराम पि0 मालाराम निवासी इन्दपालसर हिरावंतान तहसील श्रीडूंगरगढ के नाम से) कय की जाकर कब्जे एवं काश्त में चली आ रही हैं। उक्त कृषि भूमि वाके ग्राम नकोदेसर के दौराने भू प्रबन्ध संवत 2025 बन्दोबस्ती खसरा नं0241 तादादी 53 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 245 तादादी 36 बीघा 18 बिस्वा बने जो पुनः तरमीमी सर्वे के दौरान खसरा नम्बर 372 तादादी 9.39 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 375 तादादी 13.72 हैक्टेयर कुल 23.11 हैक्टेयर में पैमूद हुई। उक्त कृषि भूमि बाद कय मुताबिक बैयनामा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई परन्तु सहवन से प्रार्थी का नाम नरसाराम के स्थान पर नरसीराम दर्ज हो गया इसी प्रकार पिता का नाम मालाराम की जगह मानाराम दर्ज हो गया। प्रार्थी का वास्तविक नाम नरसाराम ही है एवं पिता का नाम मालाराम हैं। प्रार्थी के समस्त दस्तावेज यथा आधार कार्ड, खाता कॉपरेटिव बैक, पहचान पत्र एवं पेन कार्ड आदि बने हुवे है तथा विक्रय पत्र में भी नाम नरसाराम पुत्र मालाराम अंकित हैं। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड, विक्रय पत्र, पहचान पत्र , बैक डायरी और पेन कार्ड की छाया प्रतियां एवं जमाबन्दी ग्राम नकोदेसर सवत् 2032–2035 एवं जमाबन्दी ग्राम नकोदेसर सवत् 2018–2022 की छाया प्रतियां पेश की हैं। प्रार्थना पत्र वास्ते रिपोर्ट तहसीलदार लूनकरनसर को भिजवाया गया । तहसीलदार लूनकरनसर ने मुताबिक रिपोर्ट पटवारी एवं दस्तावेज के आधार पर वांछित दुरूस्ती किये जाने की अंनुशंसा की हैं। हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज आदि का अवलोकन किया तहसीलदार से प्राप्त अनुशंसा अनुसार प्रार्थी का वास्तविक नाम नरसाराम एवं पिता का नाम मालाराम है। अतः राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत् 2073–2076 के खाता संख्या 99 खसरा नम्बर 372 तादादी 9.39 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 375 तादादी 13.72 हैक्टेयर कुल 23.11 हैक्टेयर कृषि भूमि भवरलाल, नरसीराम पि0 मानाराम के स्थान पर भवरलाल, नरसाराम पि0 मालाराम कौम जाट साकिन इन्दपालसर तहसील श्रीडुगरगढ दुरूस्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं। तहसीलदार लूनकरनसर मुताबिक आदेश रिकॉर्ड दुरूस्त करे इस आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार राजस्व लूनकरनसर को प्रेषित हो। पत्रावली निर्णय में शुमार हस्ब जाब्ता दाखिल दफत्तर हों। आदेश आज दिनांक 03.07.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (भागीरथ शाख) उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Sl
Date: 2021.07.29 12:37:30 IST
Reason: SelfAttested